कानून को जानें

7

कानूनी सहायता

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार एवं
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी)
द्वारा संचालित ''एक्सेस टू जस्टिस परियोजना''
के अंतर्गत आईसेक्ट द्वारा निर्मित

सहयोग : राज्य संसाधन केन्द्र (आर.सी.ए.सी.ई.), भोपाल, म.प्र.

कानूनी सहायता

कथन : प्रकाशनों में दी गई कानूनी जानकारी लेखकों का अपना दृष्टिकोण है, जरूरी नही कि भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत का भी हो। इन पुस्तिकाओं में प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी, उदाहरण अथवा घटनाएं यदि पूर्व में प्रकाशित किसी सामग्री जैसी प्रतीत हों तो यह पूर्णतः संयोगवश है जिसके लिए इस परियोजना से जुड़ी संस्थाएं अथवा लेखक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही हैं। इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारियों के विस्तृत और सटीक अध्ययन के लिए कृपया मूल अधिनियम या योजना को अवश्य पढ़ें। प्रकाशन के किसी प्रतिवेदन को आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग करने से पूर्व न्याय विभाग, भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. भारत को आभार व्यक्त करते हुये लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष आदि का उल्लेख करें।

परिकल्पना एवं श्रृंखला संपादन	:	संतोष चौबे
मूल लेखक	:	संतोष कौशिक, डॉ. कुसुम चौहान, संजय सिंह राठौर
संपादन	:	परियोजना संपादक मंडल
प्रारूप एवं समन्वय	:	शिल्पी वार्ष्णेय
चित्रांकन	:	ब्रज पाटिल
आकल्पन	:	वंदना श्रीवास्तव
आभार	:	राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल एवं लेखकगण
टंकण	:	मुकेश सेन, विवेक बापट
प्रकाशक	:	आईसेक्ट, भोपाल
संस्करण	:	प्रथम, अगस्त 2011
मुद्रक	:	दृष्टि ऑफसेट, भोपाल

Copyright © Department of Justice, Govt. of India and UNDP India 2011

भारत में प्रकाशित

अपनी बात .....

साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ़ एवं विकसित समाज आकार लेता है। कानूनों की आधी-अधूरी जानकारी अक्सर बड़ी उलझन में डाल देती है। कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती है। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरक्षर ही नहीं पढ़े-लिखे लोग भी अक्सर ठगे जाते हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी) की मदद से आईसेक्ट का प्रयास है कि रोजमर्रा के कार्यों और जीवन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारियां सरल भाषा में पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस पुस्तक में कानूनी सहायता से संबंधित अधिकारों, जैसे निःशुल्क कानूनी परामर्श, निःशुल्क वकील की व्यवस्था, कानूनी सहायता की पात्रता से जुड़े सभी जरुरी कानूनों को संकलित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे प्रकाशन आप तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे।

संतोष चौबे
महानिदेशक, आईसेक्ट
एवं अध्यक्ष, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल

संदर्भ सामग्री

आईसेक्ट द्वारा निर्मित ''कानून को जानें'' श्रृंखला में जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें लेखकों द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में उन प्रतिष्ठित पुस्तक-पुस्तिकाओं की मदद ली गई है जो कानून की सटीक जानकारी देकर ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना को सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी हो सकें जैसेः कानून संबंधी प्रकाशन, कानूनी साक्षरता एवं प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था मार्ग, सभी संबंधित राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया-नई दिल्ली, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग एवं संबंधित राज्यों के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण। हम इन सभी संस्थाओं एवं प्रकाशकों के अत्यंत आभारी हैं। इनकी मदद से ही कानून से जुड़ी विविध और सटीक जानकारियों को हमारे स्त्रोत तथा अनुभव के साथ इन पुस्तकों में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि इनका लाभ ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना के माध्यम से हाशिये पर जी रहे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

AISECT

अनुक्रम

1. कहानी - सहारा 1

2. कानूनी सहायता 5

- कानूनी परामर्श निःशुल्क
- वकील की व्यवस्था निःशुल्क
- पात्रता
- कानूनी सहायता के 3 स्तरः राज्य, जिला, तहसील/तालुका

3. लोक अदालत 10

4. मध्यस्थता 14

1. कहानी – सहारा

आधी रात बीत गई थी।

झुग्गी बस्ती राहुल नगर में अचानक तेज रोशनी दिखलाई दी। पुलिस की जीप आयी थी। जीप रूकी। चार कांस्टेबल उतरे और लपककर मंगला के घर का दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खुला। मंगला और उसका बेटा गोपाल निरीह जानवर की तरह सामने खड़े थे। गोपाल को पकड़ कर ले गये।

गोपाल की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। ''मैंने चोरी नहीं की ..... मैंने चोरी नहीं की।'' मंगला कुछ न कर सकी। गोपाल जिस किराने की दुकान पर काम करता था उसमें पांच दिन पहले चोरी हो गई थी। पूरी बस्ती जानती थी कि जिस रात चोरी हुई गोपाल अपने घर पर ही था। वो बीमार था। दुकान मालिक ने शक के तौर पर ''गोपाल'' का नाम लिखवा दिया था। गोपाल निर्दोष होते हुए भी डर के मारे इधर-उधर छिपता फिरता रहा। वो कल ही घर पर आया था।

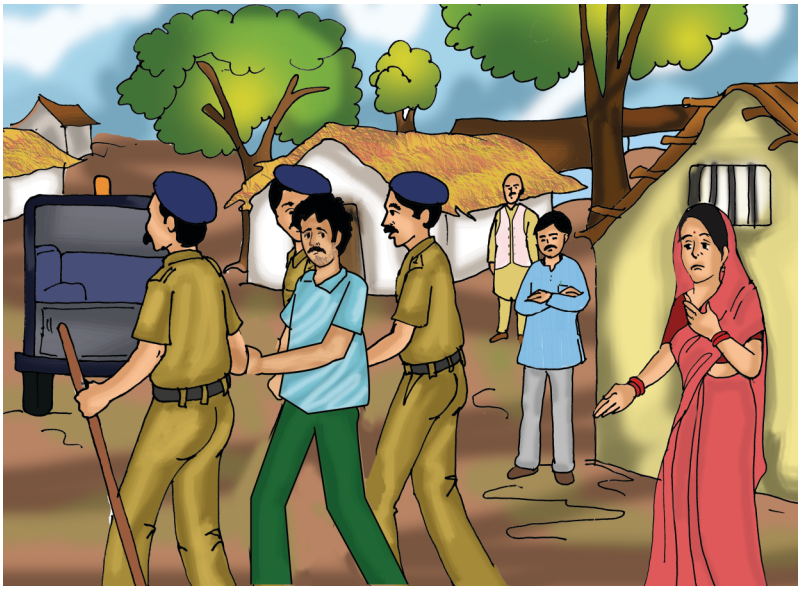

घर में बस उसकी मां थी। उसका शराबी पिता कैलाश अलग रहने लगा था। चार दिन बीत गये।

गोपाल को थाने में पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।

मदद के लिए मंगला तीन दिन इधर-उधर भागती फिरी। कहीं से रूपये-पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसा होता तो वकील कर लेती। बेटे की जमानत हो जाती। उसका मुकदमा लड़ लेती।

मंगला एक छोटी सी दुकान पर अनाज साफ करने का काम करती थी। आखिर थक-हार कर वो काम पर चली गई। उसने दुकान के मालिक सन्तराम को अपनी कथा-व्यथा सुनाई। वो एक भला आदमी था।

उसने मंगला को दिलासा देते हुए कहा - ''निःसहाय और गरीब लोगों की कानून भी तो मदद करता है।''

''तो मैं क्या करूं सेठ जी''- मंगला ने पूछा।

''मेरी मानती है तो तू सबसे पहले अपने घरवाले से खर्चा क्यूं नहीं मांगती? ऐसी

मुसीबत में वो मुंह फेर कर बैठा है। उसकी भी तो परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारी है?''

मंगला बोली -''कैसे मांगूं- मैं मुकदमे का खर्चा कहां से लाऊ?''

''लोक अदालत में केस लगा'' सन्तराम बोला ''वहां एक पैसा भी नहीं लगता। दरख्वास्त मैं लिख देता हूं। मैं तुझे ले चलता हूं उसके आफिस में।''

सन्तराम की बात मंगला के समझ में आ गई। सन्तराम की मदद से उसने अपना केस लोक-अदालत में चलाने का आवेदन दिया। लोक अदालत लगी।

मंगला के पति कैलाश को वहां बुलाया गया। अदालत के वकील ने मंगला का आवेदन ध्यान से पढ़कर कैलाश से कहा-

''कैलाश! जिन्दगीभर साथ निभाने के वचन के साथ तुमने मंगला से शादी की। लेकिन तुम अपने मौज-मस्ती के लिए अपनी जिम्मेदारियां भूल गये। ना तुम अच्छे पति बन सके ना अच्छे पिता। तुम्हारा बेटा भी जेल में बंद है।''

''वो बेकसूर है''..... मंगला बोली।

''इसका न्याय अदालत करेगी, तुम चुप रहो मंगला'' न्यायाधीश ने कहा। ''सबसे पहला अपराध तो कैलाश ने किया है।''

कैलाश लज्जित सा होकर चुपचाप सुनता रहा।

बीच में बैठे जज ने कहा ''अभी भी कुछ नहीं बना-बिगड़ा है। अपने घर लौटो अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। ये पीना-पाना छोड़ो।''

कैलाश कुछ बोल पाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था।

वकील ने कहा- ''तुम अपने घर से दूर चले गये हो। वापस लौटो इसी में भलाई है।''

कैलाश की डबडबाई आंखें उसके मंगला के पास लौटने की स्वीकृति दे रही थी।

''चलो दोनों बेंच पर बैठो आपस में बातचीत करो'' जज ने कहा ''हां तुम्हें एक बात और बता दूं- तुम्हारा बेटा जेल में है। तुम कहते हो वो निर्दोष है- ऐसा है तो छूट जायेगा।''

''लेकिन हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है'' - मंगला बोली।

वकील बोला - ''तुम जैसे गरीब और निःसहाय लोगों की मदद के लिए कानून ने ''कानूनी सहायता'' का प्रावधान किया है। जिसमें वकील का और कार्यवाही का पूरा खर्चा मिल जाता है।

कैलाश और मंगला दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। कैलाश ने मंगला से बस इतना ही कहा-''चल घर चल''

आईये विस्तार से जानते हैं कानूनी सहायता और लोक अदालत के बारे में।

2. कानूनी सहायता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 39 A में राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे।

हमारा भारत देश प्राचीनकाल से ही न्यायप्रिय देश रहा है। नीति, न्याय, धर्म उसके आदर्श रहे हैं। अन्याय का हमेशा तिरस्कार किया गया है। हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। जिसमें असहाय व निर्बल व्यक्तियों का बचाव किया गया है।

कानून और न्याय के क्षेत्र में भी गरीब और असहाय व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

कानूनी सहायता क्या है?

कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से इसलिए वंचित न रहे कि धन की कमी या अन्य किसी कारण से उसे वकील की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। कानून ने उसे वकील एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इसे ही कानूनी सहायता कहा जाता है।

दीवानी मुकदमों में उपलब्ध सेवायें-

कोई भी पक्ष अनसुना न रहे इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई उचित वकील नहीं है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति के लिए किसी वकील को नियुक्त कर सकता है। साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब है फीस अदा किए बिना भी केस दायर कर सकता है।

अगर पक्षकार से वकील पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में विधिक सेवा अधिकारी से की जा सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता

ये सुविधा हर ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है जो किसी अपराध के लिए अभियुक्त हो या जिसके विरूद्व फौजदारी न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू की गयी हो। वो अपनी पंसद के वकील द्वारा अपनी रक्षा कर सकता है। (धारा 303)

जहां कोर्ट को ऐसा लगेगा कि अभियुक्त के पास अपने बचाव के लिए वकील की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो वह राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध करायेगा। (धारा 304)

कानूनी सहायता कौन-कौन प्राप्त कर सकता है -

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में कानूनी सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति निम्नलिखित है :

- जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है।
- जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार (बंधुआ मजदूरी) कराया जा रहा है।
- जो महिला या बालक है।
- जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या असमर्थ हैं या निर्योग्य हैं।

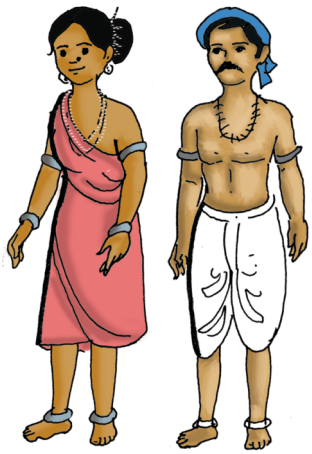

निर्योग्य का मतलब है -

- कम सुनने वाला।
- जो चल फिर नही सकता।

- कमजोर, जिसे कुष्ठ रोग है।
- अंधा या जो दिमागी रूप से बीमार हो।
- ऐसा व्यक्ति जो बहु विनाश से या जातीय अत्याचार से सताया गया है तथा प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है।
- ऐसा व्यक्ति जो मजदूर है। फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है।

- ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है।
- ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्ष भर की आमदनी 50,000 रू से ज्यादा की नहीं है।

प्रश्न - किस तरह की कानूनी सहायता मिलती है -

उत्तर - ऊपर बताए गए व्यक्तियों में से यदि किसी का मामला किसी भी अदालत मे चल रहा हो या वह चलाना चाहता है उसे मामले मे लगने वाली कोर्ट फीस, तलवाना, टाईपिंग खर्च, गवाह खर्च, नकल प्राप्त करने हेतु खर्च, यदि फैसला अंग्रेजी में है तो उसके हिंदी अनुवाद में लगने वाले सभी खर्च, निर्णय आदेश और अन्य कागजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए भी पूरा पैसा मिलता है। वकील की फीस भी नहीं देना पड़ती है। यह फीस कानूनी सेवा का कार्य कर रहे प्राधिकरण या कमेटी द्वारा दी जाती है।

प्रश्न - किन-किन अदालतों में और किन मुकदमों में कानूनी सहायता मिलती है -

उत्तर - कानूनी सहायता सभी प्रकार की अदालतों में जैसे : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कमिश्नर, कलेक्टर, एस.डीओ,

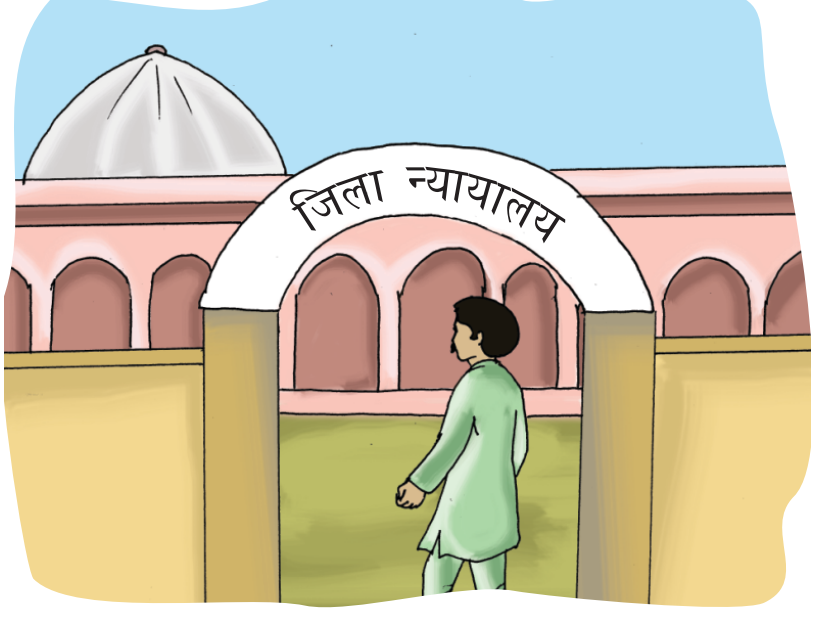

तहसीलदार की अदालत, श्रम न्यायालय आदि। जितनी भी अदालतें हैं चाहे वे फौजदारी की हों, दीवानी की हों, राजस्व की हों या अपील की सुनवाई करने वाली हों सबके लिए और सभी तरह के मुकदमों में कानूनी सहायता दी जाती है।

प्रश्न - कब कानूनी सहायता नहीं मिलेगी -

उत्तर -
- मानहानि व विद्वेषपूर्ण मामलों में।
- न्यायालय की अवमानना तथा शपथ भंग के मामलों में।
- चुनाव से संबंधित मामलों में।
- ऐसे अपराध जिसमें जुर्माना 50/- रू. से अधिक न हो।
- आर्थिक अपराध व सामाजिक अपराध में मुकदमा होने पर कानूनी सेवा नहीं मिलेगी। परन्तु जिला प्राधिकरण ऐसे मुकदमों में कानूनी सेवा प्रदान कर सकेगा।
- मुकदमें में खास पक्षकार नहीं होने पर।
- व्यापार या काराबोर करने के सम्बन्ध में धन या संपत्ति की वसूली के लिए कोई मुकदमा चलाने हेतु।

कानूनी सहायता के तीन स्तर -

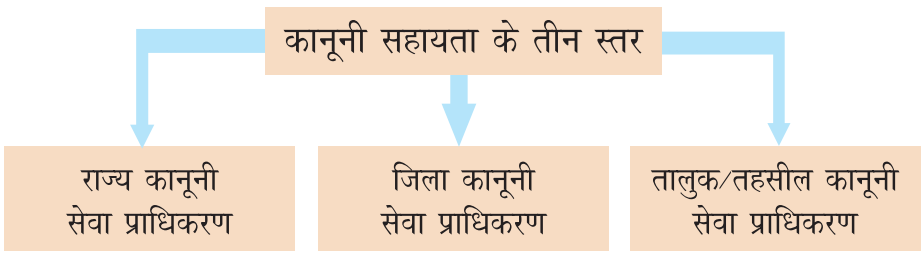

राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय राज्य के प्रमुख शहर में होता है जैसे : मध्य प्रदेश में जबलपुर में, उड़ीसा में कटक में, राजस्थान में जयपुर में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, बिहार में पटना में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तथा झारखण्ड में रांची में है।

प्रत्येक जिले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है। ठीक इसी प्रकार तहसील स्तर पर तहसील या तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यालय स्थित होता है। कोई भी पात्र व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा लगाना चाहता है या उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रकरण या केस चल रहा है तो वह उच्च न्यायालय के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

जिले मे सभी प्रकार के न्यायालयों में कानूनी सहायता -

कोई भी पात्र व्यक्ति जिले की किसी अदालत में मुकदमा चलाना चाहता है या उसके खिलाफ मुकदमा चलता है तो वह जिला न्यायालय के ऑफिस जाकर जिला न्यायाधीश या सचिव या जिला कानूनी सहायता अधिकारी को आवेदन देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

तहसील में कानूनी सहायता -

जिले की किसी भी अदालत में कानूनी सहायता प्राप्त करने लिए जिला न्यायालय के ऑफिस जाकर सचिव या जिला न्यायाधीश के नाम आवेदन देना होता है। ठीक उसी प्रकार तहसील में यदि कोई पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष या सचिव के नाम कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना होगा। उसके पश्चात वह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

3. लोक अदालत

अदालतों की लंबी प्रक्रिया के कारण विभिन्न अदालतों में कई मामले विचाराधीन हैं। ये मामले सभी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोक अदालत का चलन बढ़ा है। लोक अदालत न्याय की वह प्रक्रिया है जो समझौते के आधार पर विकसित की गयी है जिसमें न तो किसी पक्ष की जीत होती है न किसी पक्ष की हार। आपसी बातचीत से एक सुलह की स्थिति पर पहुँचा जाता है।

लोक अदालत की विशेषताएं

- इनमें मामलों का निपटारा पक्षकारों में आपसी समझौतों या राजीनामों के आधार पर किया जाता है।
- दोंनों पक्षों के बीच कड़वाहट दूर कर मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया जाता है।
- कोई अदालती खर्च नहीं होता है।
- मामलों का निपटारा जल्दी हो जाता है। अनावश्यक विलम्ब नहीं होता।
- राजीनामे में न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी आदि शामिल होते हैं।
- लोक अदालत द्वारा पारित आदेश की निशुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को फौरन प्रदान की जाती हैं।
- लोक अदालत द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है। इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती।

लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र -

लोक अदालतों को उन सभी मामलों को राजीनामों या समझौतों द्वारा निपटाने का अधिकार होता है जो

- किसी अदालत में लंबित हैं या विचाराधीन हैं।
- वे विवाद जो अभी तक अदालत नहीं पहुँचे हैं।

लोक अदालतों द्वारा ऐसे फौजदारी मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता जिसका कानून के तहत समझौता नहीं हो सकता जैसे - किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की गयी है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसने हत्या की है दूसरे पक्ष के साथ राजीनामा नहीं कर सकता।

कौन-कौन से मामलों में लोक अदालत द्वारा समझौता करवाया जा सकता है -

श्रम सम्बन्धी मामले

- निलम्बन, छंटनी अथवा संविदा (ठेका) श्रम।
- भविष्यनिधि से संबंधित मामले।
- मजदूरी, बोनस।

मुआवजे से सम्बंधित -

- स्थायी रूप से विकलांग या मृत्यु जो मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित हैं।
- अन्य दावे जो मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित है।
- रेल्वे दुर्घटना।

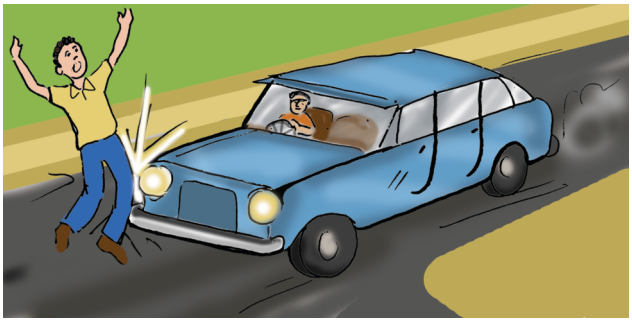

- टेलीफोन या बिजली से संबंधित केस।

पारिवारिक मामले

- आपसी सहमति से तलाक।
- दाम्पत्य सम्बन्धों की फिर से स्थापना।

- बच्चों का संरक्षण।
- गोद व भरण पोषण।
- जो बच्चे व्यस्क नहीं हैं उनका संरक्षण।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम से जुड़े मामले।
- हिन्दू विवाह अधिनियम से जुड़े मामले।
- ईसाई विवाह अधिनियम से जुड़े मामले।

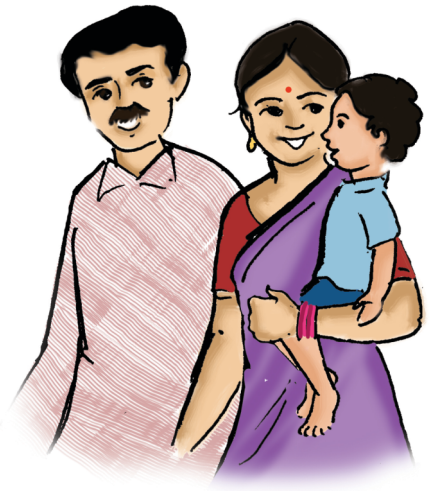

अन्य मामले

- केवल जुर्माने से संबंधित।
- भरण-पोषण से संबंधित।
- बंटवारे से संबंधित।
- ऋण या बैंक की वसूली से संबंधित।
- उपभोक्ता संबंधित।
- ऐसे सिविल या दीवानी केस जो 1986 से पूर्व उच्चतम न्यायालय में दायर हुये।
- ऐसे विषय जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हों।

लोक अदालत द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया -

- जहाँ कोई एक पक्ष यह चाहे कि उसके मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो तो ऐसा पक्षकार उस अदालत में इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि उसका मामला लोक अदालत में भेजा जाए।
- जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि मामला लोक अदालत में निपटाये जाने योग्य है तो वह उसे लोक अदालत में भेजने का निर्देश दे सकती है।
- यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर जब मामला लोक अदालत में आता हैं तब लोक अदालत में उस मामले की सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। दोनो पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा तथा समझौता कराने की कोशिश की जाएगी।
- लोक अदालत बिना भेदभाव के प्राकृतिक न्याय, अर्थात व्यक्ति की आत्मा या उसके अंतःकरण के आधार पर कार्य करती हैं। याने जो पहले पंच परमेश्वर की धारणा थी वही लोक अदालत के बारे में है।

- यदि कोशिश के बावजूद भी पक्षों के बीच राजीनामा या समझौता नहीं हो पाता है तो फिर मामला उसी अदालत को भेजा दिया जाता है जहाँ से वह प्राप्त हुआ था। वह अदालत उस मामले में पुनः उसी स्तर से आगे की कार्यवाही करती है जिस स्तर से वह लोक अदालत को भेजा गया था।

- लोक अदालत के आदेश का वही प्रभाव होता है जो कि सिविल या दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का होता है।
- लोक अदालत के द्वारा दिया गया आदेश/निर्णय अंतिम होता है अर्थात् इसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती।
- लगभग हर महीने लोक अदालतों का आयोजन जहाँ तहसील न्यायालय, जिला अदालत या उच्च न्यायालय हैं वहीं किया जाता है। ये अदालतें अधिकतर छुट्टी के दिनों में आयोजित की जाती हैं।
- इन अदालतों में बल, प्रभाव का गलत इस्तेमाल, लालच, इत्यादि पूर्णतः गैर कानूनी एवं कार्यवाही को प्रभावहीन बना सकते हैं।

लोक अदालत के लाभ -

- पक्षकारों के बीच सद्भाव।
- समय, धन व श्रम की बचत।
- समझौता हो जाने पर कोर्ट फीस वापस।
- लोक अदालत द्वारा पारित आदेश के बिना किसी शुल्क के सत्यप्रतिलिपि का पक्षकारो को तुरंत प्रदाय।
- हमेशा के लिए विवाद की समाप्ति जिससे सुख शांति मिलती है।
- वकील की आवश्यकता नहीं, स्वयं भी पक्ष रख सकते हैं।

याद रखें

मुकदमा जीतने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और हारने वाला मानसिक रूप से।

आवेदन किसे दें -

- उच्चन्यायालय स्तर पर सचिव/न्यायाधीश उच्चन्यायालय कानूनी सेवा समिति तथा कानूनी सहायता अधिकारी, उच्चन्यायालय परिसर में होता है।
- जिला स्तर पर अपने जिले के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, सचिव-जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा जिला कानूनी सहायता अधिकारी, जिला न्यायालय परिसर।
- तहसील स्तर पर अध्यक्ष/न्यायाधीश तहसील कानूनी सेवा समिति तहसील न्यायालय परिसर।

4. मध्यस्थता

मध्यस्थता अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने की कानूनी तकनीक है। यह आज की अहम जरूरत है। यह स्वयं पक्षों द्वारा तय किया जाता है कि वे अपने विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करना चाहते हैं। मध्यस्थता केन्द्र पर समाज सेवी, वकील, प्रशाासनिक अधिकारी इत्यादि होते हैं जो पक्षकारों के बीच सुलह कराते हैं।

अकसर दो पक्षों के बीच विवादों का निपटारा तीन तरीकों से किया जाता है-

- न्यायालय में मुकदमा दायर कर।
- सुलह के माध्यम से।
- सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति कर।
- न्यायालय में मुकदमा दायर कर नतीजे तक पहुंचना एक लम्बा और जटिल तरीका है। मध्यस्थता में ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है।
- मध्यस्थता अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने की कानूनी तकनीक है। यह वर्तमान में बहुत जरूरी है। यह स्वयं पक्षों द्वारा तय किया जाता है कि वे अपने विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करना चाहते हैं। मध्यस्थता केन्द्र पर समाज

सेवी, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, इत्यादि होते हैं, जो पक्षकारों के बीच सुलह कराते हैं।

- मध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटारा संधिपत्र या पंचाट कहलाता है। यह न्यायालय की डिक्री के समान होता है।
- सुलह विधि में पक्षकारों की सहमति के अनुरूप सुलहकर्ता विवादों का निपटारा करता है। इसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर सुलहकर्ता उनके बीच समझौते के माध्यम से सुलह कराते हैं।

मध्यस्थ एवं सुलहकर्ता के द्वारा विवादों के निपटारे संबंधी कानून को ''मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996'' के रूप में जाना जाता है।

मध्यस्थता का तरीका

- मध्यस्थता विवादों को निपटाने का सरल एवं निष्पक्ष तरीका है।
- इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबावरहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं।

- मध्यस्थ अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिये पूर्णतः प्रशिक्षित होता है। सभी पक्षों को उनके विवादों का हल निकालने में मदद करता है।

मध्यस्थता में निम्नलिखित तरीकों से कार्य होता है-

- मध्यस्थ अधिकारी, मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत करवाता है। उन्हें प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में भी बताता है।
- मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से एक साथ मिलकर उनके विवाद के बारे में जानकारी हासिल करता है।
- वह विवाद के निपटारे के लिये सभी के बीच बेहतर वातावरण बनाता है।
- जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ अधिकारी हर पक्ष से अलग अलग भी बात करते हैं।
- अलग-अलग बात करते समय हर पक्ष अपने सभी मुद्दे मध्यस्थ अधिकारी के सामने रखते हैं। इन्हें गोपनीय रखा जाता है।
- विवाद के निपटारे के बाद मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से समझौते की पुष्टि करवाता है। उसकी शर्तें समझाता है। इस समझौते को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। जिस पर सभी पक्ष हस्ताक्षर करते हैं।

मध्यस्थ अधिकारी के कार्य

- मध्यस्थ अधिकारी विवादित पक्षों के बीच समझौते की जमीन तैयार करता है।
- पक्षों के बीच आपसी बातचीत और विचारों का माध्यम बनता है।
- समझौते के दौरान आने वाली बाधाओं का पता लगाता है।
- बातचीत से पैदा हुए समीकरणों को पक्षों के सामने रखता है।
- सभी पक्षों के हितों की पहचान करवाता है।
- समझौते की शर्तें स्पष्ट करवाता है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी पक्ष स्वेच्छा से समझौते को अपना सकें।

मध्यस्थता के लाभ

- कई बार मामले पेचीदा व तकनीकी होते हैं। इनके निपटारे के लिये न्यायालय के विशेषज्ञों की राय लेना पड़ती है। यदि ऐसे मामलों का निपटारा तकनीकी ज्ञान या

मामले से संबंधित ज्ञान रखने वाले लोगों की मध्यस्थता से किया जाता है, तो मामले का निपटारा बेहतर तरीके से हो जाता है।

- मध्यस्थता में विवादों का निपटारा किए जाने पर समय खराब नहीं होता है।
- पक्षकारों की सहमति से ही मध्यस्थ अधिकारी नियुक्त होता है, इसलिए दोनों पक्षों की सुविधा से विवाद की सुनवाई का स्थान व समय तय किया जा सकता है।
- मध्यस्थ अधिकारी विवादित स्थल, विषय या वस्तु का निरीक्षण भी अच्छी तरह कर सकता है, जो कि न्यायालय के लिये संभव नहीं होता।
- विवाद का बिना विलंब के जल्दी समाधान हो जाता है।
- न्यायालयों में चक्कर लगाने व तारीख पर तारीख जैसी बातों से राहत मिलती है।
- मध्यस्थता बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक है।
- इसके जरिए विवाद का हमेशा के लिये बेहतर समाधान निकल जाता है।
- समाधान में पक्षों की सहमति को पूरा महत्व दिया जाता है।
- सामाजिक सद्भाव कायम करने में मध्यस्थता सहायक सिद्ध होती है।

हमने अब तक जाना....

समाज के निःसहाय, दुर्बल, निर्धन और दबे-कुचले वर्गों में से यदि कोई व्यक्ति लड़ाई-झगड़े, विवाद या किसी अन्य कारण से न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है और धन के अभाव में अपना केस नहीं लड़ पाता है तो कानून उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है जो निःशुल्क दी जाती है।

लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी व्यवस्थाऐं भी जनहित में आपसी सुलह के आधार पर व्यक्ति को मुकदमें की पेचीदगियों, खर्च और समय की बरबादी को रोकने में मदद प्रदान करती है।